

प्रेस विज्ञापित दिनांक 28-09-2019 जनपद देवरिया

थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा हरियाणा निर्मित 870 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब 02 अदद वाहन सहित

—:कुल 90 लाख की बरामदगी कर 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:—

आज दिनांक-28-09-2019 थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराही देखभाल क्षेत्र एवं संदिग्ध वाहन व व्यक्ति चेकिंग कर रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की गोरखपुर-देवरिया मुख्य मार्ग पर मझला नाला से 50 मीटर दूरी पर कुछ लोग एक लाल रंग के कंटेनर से गत्ते निकाल कर होण्डा सिटी कार की डिग्गी में लाद रहे रहे हैं, इस सूचना पर विश्वास करके मय पुलिस फोर्स के साथ मझना पुल के पास पहुँचे। वहाँ पहुँच कर देखा गया की एक लाल कंटेनर जिसका नम्बर यूपी-78सीएन-4200 के ड्राईबर की सीट पर एक व्यक्ति बैठा है तथा कंटेनर का पीछे का दरवाजा खुला हुआ है एवं कंटेनर के ठीक पीछे एक होण्डा सिटी कार एचआर-05 एयू-3505 की डिग्गी में चार पाँच लोग कटेनगर से गत्ते निकाल कर लाद रहे हैं। पुलिस को अपनी तरफ आते देखकर वे भागने लगे भाग रहे लोगो में से तीन लोगो को पुलिस द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया एव अन्य तीन लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गये व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम 01-धर्मपाल सिंह पुत्र मानसिंह सा0 नर्थला थाना-बुटाना जनपद-करनाल हरियाणा 02-मो0 खुर्शीद पुत्र मो0 कासिम सा0 पीर का बाजार बी0डी0आर0एम0 स्कूल स्योहारा थाना-सोहरा बिजनौर 03-कृष्णपाल चौहान पुत्र लाल सिंह सा0 बीरअमी थाना कु0यु0के0 जनपद-कुरुक्षेत्र हरियाणा एवं भागने वालो का नाम 01-प्रमोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र अवधेश कुमार सा0 सरया रामपुर सिवान बिहार 02-अमरेश प्रताप उर्फ पिन्टू पुत्र भानू सिंह सा0 धारी वार्ड थाना लार देवरिया 03-आर0एन0 उर्फ रामेश्वर विश्वकर्मा पुत्र राधेश्याम सा0 धारी वार्ड थाना-लार देवरिया बताया । भागने का कारण पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि ट्रक में शराब है जिसे वह पूर्वांचल के जिलों एव बिहार में सप्लाई करने वाले थे जिसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। पुलिस टीम द्वारा ट्रक से 870 पेटी से 41760 शीशी क्रेजी रोमियो 180 एमएल शराब बरामद किया गया जिसकी कुल कीमत लगभग 68 लाख हजार रुपये है तथा वाहन कंटेनर की कीमत लगभग 15 लाख व होण्डा सिटी कार की अनुमानित कीमत लगभग 07 लाख रुपये है। पुलिस टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब व वाहनो को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तो को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रहीं है।

बरामदगी का विवरण:-

01- 870 पेटी से 41760 शीशी क्रेजी रोमियो 180 एमएल कीमत लगभग 68 लाख रू0

02- एक अदद कटेनर वाहन कीमत लगभग 15 लाख रू0

03-एक अदद होण्डा सिटी कार कीमत लगभग 07 लाख रू0

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01- धर्मपाल सिंह पुत्र मानसिंह सा0 नर्थला थाना-बुटाना जनपद-करनाल हरियाणा

02-मो0 खुर्शीद पुत्र मो0 कासिम सा0 पीर का बाजार बी0डी0आर0एम0 स्कूल स्योहारा थाना-सोहरा बिजनौर

03-कृष्णपाल चौहान पुत्र लाल सिंह सा0 बीरअमी थाना कु0यु0के0 जनपद-कुरुक्षेत्र हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01-थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया।

02-उ0नि0 अक्षयबर यादव थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया।

03-उ0नि0 बाबूलाल थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया।

04-उ0नि0 दुर्गाप्रसाद पाण्डेय थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया।

05-हे0का0 राजेश राय थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

06-हे0का0 दिलीप पाण्डेय थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

07-हे0का0 कलीम थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

08-हे0का0 अजीत कुमार पाठक थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

09 का0 सुरेन्द्र कुमार राय थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

08-हे0का0 अजीत कुमार पाठक थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

09 का0 सुरेन्द्र कुमार राय थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

10.का0 मनोज पटेल थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

11.का0 सन्तोष मध्देशिया थानागौरीबाजार जनपद

12.का0 विद्यासागर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

उपरोक्त सराहनीय कार्य किये जाने के क्रम में पुलिस टीम को 5000रू0 से पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की जाती है।